फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

जिला हनुमानगढ

साहबराम बनाम **प्रेमाराम**

किस्म मुकदमा ,53 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 816 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
04.09.2020	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद प.त्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन/सम्मन से तलब किया जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.10.2020 को पेश हो।	
16/10/20	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1,2 की ओर से अभाव गुट अधिवक्ता ज. वकालतनामा पेश कर वादी को विवाद कर इकरारनामा प्राप्त पेश किया प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित प्राप्त हेतु समय चाहा फाइनी प्राप्त हेतु दिनांक 29/10/20 को पेश	
29/10/20	पत्रावली पेश हुई राजकुमार वकील के परिमन दिनांक 21.9.2020 के रिश्ता के विरुद्ध अनुसार पत्रावली दिनांक .....को पेश हो। 24.12.20	
24/12/20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दि0 .....को पेश हो। 29.1.21	
29.1.21	वकील वादी उपस्थित वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी का आपस में राजीनामा हो गया है तथा वाद वादी चलाना नहीं चाहता है। वाद वादी खारिज किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्ख से कम होकर दफ्तर रवाना हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर	कार्रवाई नहीं चलाना चाहता है 29.1.2021

Scanned with CamScanner